

## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :- 676

दिनांक :- 24/11/17

## आदेश


वृत्त-उदयपुर के अधीन अटल नगर निम्बाहेड़ा योजना में उपलब्ध सरप्लस बहुमंजिले आवासो को अति0 मुख्य अभियन्ता-द्वितीय के प्रस्तावानुसार खुली बिक्री योजना में नकद भुगतान पद्धती के माध्यम से निस्तारित किए जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आय वर्ग	आवास संख्या	कुल आवास संख्या
1.	अल्प आय वर्ग (G+3)	4/F-3, 4/F-10, 4/T-3, 4/T-15, 4/T-16	5
		कुल	5

उपरोक्त फ्लैटो (बहुमंजिले आवास) को निम्न शर्तों पर खुली बिक्री योजना में नगद भुगतान पद्धती के माध्यम से निस्तारित किया जाये।

1. फ्लैटों (आवासों) आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है।
2. उक्त फ्लैटों (आवासों) के अलावा स्कीम में कोई भी अन्य फ्लैट खुली बिक्री योजना हेतु रिक्त नहीं है।
3. उक्त फ्लैटों (आवासो) का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावें।
4. फ्लैटों (आवासों) का निस्तारण खुली बिक्री योजना के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती यह सुनिश्चित कर ही निस्तारण करे।
5. प्रस्तावित फ्लैटो (आवासो) में किसी भी प्रकार का विवाद/न्यायिक विवाद लम्बित नहीं है एवं विधिवत निरस्त किये गये हैं साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि निस्तारण हेतु प्रस्तावित फ्लैटो बाबत किसी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी फ्लैट किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत कोई आश्वासन/शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

  
मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, रा.आ.मंडल, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव/वित्तीय सलाहकार/उप वित्तीय सलाहकार/मुख्य अभियन्ता (मु.) प्रथम/द्वितीय/निदेशक (विधि)/मुख्य संपदा प्रबंधक, रा.आ.मंडल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय राजस्थान आवासन मण्डल जोधपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-उदयपुर, राजस्थान आवासन मण्डल, उदयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-चित्तौड़गढ़, राजस्थान आवासन मण्डल, चित्तौड़गढ़।
8. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. प्रभारी नागरीक सेवा केन्द्र, मुख्यालय राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक) राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेब-साईट पर अपलोड व सम्बन्धित को ई-मेल करे।
11. रक्षित पत्रावली।

  
मुख्य सम्पदा प्रबंधक